स्पीड पोस्ट से

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का सस्थान)
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली :-110012

सं0: 4(4168)/96-मा.सं/नेसीका. दिनांक : 07.02.2022

परिपत्र

विषयः– सेवानिवृत्ति /निधन के उपरान्त देय उपदान राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रायः देखा गया है कि निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति अथवा निधन के उपरान्त देय उपदान राशि के दावे निगमित कार्यालय अग्रसरित करते समय उनके दैनिक वेतनभोगी कार्यकाल का विवरण उचित प्रकार से अथवा नहीं दर्शाया जाता है । जिसके कारण दैनिक वेतनभोगी अवधि के उपदान राशि के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनः आवदेन करना पडता है और ऐसे कर्मचारियों को बकाया उपदान राशि के भुगतान में काफी विलम्ब होता है, जिसे सक्षम अधिकारी ने संज्ञान में लिया है।

अतः सभी क्षेत्रीय प्रबंधक/फार्म प्रमुखों को कर्मचारी के दैनिक वेतनभोगी/समेकित (कन्सोलिडेट) अवधि में कार्यरत रहने का विवरण उनके सेवा रिकार्ड/ सेवा पुस्तिका में दर्ज करने सलाह दी जाती है। कर्मचारी को पुनः दावा नहीं करना पडे इसके लिए भविष्य में उपदान राशि के दावे अग्रसरित करते समय कर्मचारी के दैनिक वेतनभोगी/समेकित (कन्सोलिडेट) अवधि में कार्यरत रहने के प्रमाणित विवरण के उपरान्त निगमित कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(शीलेन्द्र कुमार)
अपर महा प्रबंधक (मा.सं.)

प्रेषित :–

1. सभी क्षेत्रीय प्रबंधक/फार्म प्रमुख, रा0बी0नि0 – अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ मानव संसाधन ईंचार्ज को उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चत् करने हेतु निर्देशित करें।
2. निजी सचिव, निदेशक(वित्त), रा0बी0नि0,निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
3. प्रभारी आई. टी. सेल – निगम के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाईल तथा परिपत्र फाईल।